



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.07.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, सोशल मीडिया(फेसबुक) के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अभियुक्त हेमराज गौतम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.07.2022 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 459/2022 धारा 153ए/295ए भादवि0 व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त हेमराज गौतम पुत्र केशन निवासी ग्राम चकलाखीपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी को चखलाखीपुर के पास बहराईच लखीमपुर हाइवे रोड से गिरफ्तार किया गया। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त हेमराज गौतम द्वारा अपने फेसबुक एकाउन्ट से कांवड यात्रियों पर अभद्र टिप्पणी व मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का अश्लील फोटो बनाकर भड़काऊ पोस्ट वायरल की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

हेमराज गौतम पुत्र केशन निवासी ग्राम चकलाखीपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0 नि0 धर्म प्रकाश शुक्ल, थाना धौरहरा
2. उ0नि0 संजय कुमार सिंह
3. का0 मुरली मनोहर
4. का0 भूपेन्द्र कुमार

थाना पलिया पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त गोपी को चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.07.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 408/2022 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त गोपी पुत्र स्व0 सम्वारी निवासी बेला कला थाना पलिया जनपद खीरी को बेला मोड़ से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

गोपी पुत्र स्व0 सम्वारी निवासी बेला कला थाना पलिया जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 हनुमंत लाल तिवारी (चौकी प्रभारी मझगई), थाना पलिया
2. का0 देवेन्द्र प्रसाद
3. का0 सुभाष चन्द्र
4. का0 अमित यादव

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 03 नफर वांछित अभियुक्तों को 01 गोवंशीय पशु व 02 अदद छुरी सहित गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.07.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 03 अभियुक्तों 1. आसिफ पुत्र शकील 2. सलीमुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन 3. उस्मान पुत्र अमीनुद्दीन को 01 अदद गोवंशीय पशु व 02 अदद छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. आसिफ पुत्र शकील निवासी ग्राम कोटवारा थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2. सलीमुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम व पो0 भल्लिया बुजुर्ग थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
3. उस्मान पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम व पो0 भल्लिया बुजुर्ग थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 317/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम

बरामदगी का विवरण:-

- 01 गोवंशीय पशु
- 02 अदद छुरी

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र शकील का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 11/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना हैदराबाद
2. मु0अ0सं0 16/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना हैदराबाद
3. मु0अ0सं0 175/2022 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना हैदराबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 कुलदीप सिंह, थाना हैदराबाद
2. उ0नि0 अवलीश कुमार थाना हैदराबाद
3. का0 अरविन्द कुमार थाना हैदराबाद
4. का0 देवेश कुमार थाना हैदराबाद

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.07.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों 1.पंकज पुत्र सीताराम 2.प्रमोद पुत्र राजितराम को गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पंकज पुत्र सीताराम निवासी ग्राम देवकली थाना हैदराबाद जनपद खीरी
2. प्रमोद पुत्र राजितराम निवासी ग्राम उदयपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी

अभियुक्त पंकज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 272/2022 धारा 306/504/506 भा0द0वि0 थाना हैदराबाद

अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 311/2022 धारा 363/366/504/506 भा0द0वि0 थाना हैदराबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 प्रभातेश कुमार, थाना हैदराबाद
2. नि0अपराध शशिशेखर यादव, थाना हैदराबाद
3. उ0नि0 अवलीश कुमार, थाना हैदराबाद
4. का0 धीरज यादव थाना हैदराबाद
5. का0 महेश कुमार थाना हैदराबाद
6. का0 नैपाल सिंह थाना हैदराबाद

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त गुरुवचन सिंह पुत्र मंगल सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.07.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त गुरुवचन सिंह पुत्र मंगल सिंह नि0 नया पिंड खैरटिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना तिकुनिया पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.07.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को पानी की टंकी के पास कैमहरा से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना फरधान पर मु०अ०सं० 334/2022 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. रिजवान पुत्र असगर
2. इशहाक पुत्र अनवर
3. मोबिन पुत्र मोला
4. मुमताज अली पुत्र शराफत नि०गण ग्राम कैमहरा थाना फरधान जनपद खीरी

बरामदगी:-

52 ताश के पत्ते
माल फड़ 1340 रूपये मय जामा तालाशी 860 रू०

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० आदित्य कुमार यादव, थाना फरधान
2. का० सुनील कुमार यादव
3. का० निशान्त
4. का० विशाल त्यागी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्न कार्यवाही की गई है:-

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं04718/09 धारा 26 एफ एक्ट में वारण्टी अभियुक्त लक्ष्मन पुत्र गिरधारी नि0 पृथ्वीपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 286 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **286 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01** अवैध शराब भट्टी बरामद कर **10 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए।